हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

संख्या–पी.सी.एच.–एच.ए.(3)25/2007 तारीख, शिमला–171009, 4 सितम्बर, 2008

<u>अधिसूचना</u>

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (पंचायत सहायकों की नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 2008 का प्रारूप, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 4) की धारा 186 के उपबन्धों के अधीन यथा अपेक्षित, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 16 जून, 2008 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में 17 जून, 2008 को आक्षेपों और सुझावों को आमन्त्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था ;

और नियत अवधि के दौरान प्राप्त किए गए आक्षेपों/सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा, समयक् रूप से विचार किया गया ;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 4) की धारा 186 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनातीं है, अर्थात् :–

संक्षिप्त नाम। 1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (पंचायत सहायकों की नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 2008 है।

परिभाषाएं। 2. (1) इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 अभिप्रेत है ;

(ख) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, परन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके हैं।

पदों की संख्या और उनके वेतनमान। 3. (1) ऐसी ग्राम पंचायत, जहां पहले से ही पंचायत सचिव नियुक्त हैं, को अपवर्जित करते (छोड़ते) हुए, प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक का एक पद होगाः

परन्तु ऐसी ग्राम पंचायत, जहां पहले से ही पंचायत सचिव नियुक्त किए गए हैं, में भी बढ़े हुए कार्यभार (वर्कलोड) को ध्यान में रखते हुए पंचायत सहायक की नियुक्ति की जा सकेगीः

परन्तु यह और कि पंचायत सहायक सम्बद्ध पंचायत समिति के कर्मचारी होंगे और उनकी सेवाएं, पंचायत समिति के क्षेत्र के भीतर एक ग्राम पंचायत से दूसरी ग्राम पंचायत को अन्तरणीय होंगी।

(2) पंचायत सहायक को, ऐसी दरों पर पारिश्रमिक संदत्त किया जाएगा जैसी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाएं। पंचायत सहायक को मासिक पारिश्रमिक, इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा उपबन्धित सहायता अनुदान में से, सम्बद्ध पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से, संवितरित किया जाएगाः

परन्तु पंचायत सहायक का मासिक पारिश्रमिक, सम्बद्ध ग्राम पंचायत के, यथास्थिति, प्रधान या उप–प्रधान से उपस्थिति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही संवितरित किया जाएगा।

अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं।

4. पंचायत सहायक के रूप में नियुक्त किया जाने वाला अभ्यर्थी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से दस जमा दो की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता या इसके समकक्ष अर्हता अवश्य रखता हों।

आयु और अन्य पात्रता शर्तें।

5. पंचायत सहायक के रूप में नियुक्ति किया जाने के लिए कोई व्यक्ति पात्र होगा, यदि वह,–

(क) वर्ष की प्रथम जनवरी को, जिसमें वह पद के लिए आवेदन करता है, 18 से 45 वर्ष की आयु का है ;
(ख) सम्बद्ध जिला का स्थायी निवासी हो ;
(ग) स्वस्थचित और अच्छे स्वास्थ्य का हो ;
(घ) लोक सेवा में नियुक्ति के लिए निरर्हित न हुआ हो या अनुशासनिक आधारों पर लोक सेवा से हटाया न गया हो या उसने किसी स्वैच्छया निवृत्ति स्कीम के अधीन स्वेच्छा निवृत्ति न ली हो ;
(ङ) नैतिक अधमता में अर्न्तवलित किसी अपराध में दोषसिद्ध न हुआ हो ; और
(च) उसके नाम राज्य सरकार या ग्राम पंचायत को संदेय कोई परादेय देय (शोध्य) न हो।

आवेदन आमन्त्रित करने और चयन के लिए प्रक्रिया।

6. (1) सम्बद्ध पंचायत समिति, अपने कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से, व्यापक प्रचार करते हुए, खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय के सूचना पट्ट पर और पंचायत समिति क्षेत्र के भीतर, ग्राम पंचायतों, पटवार खाने, महिला मण्डल भवन, युवक मण्डल भवन, सामुदायिक केन्द्र इत्यादि के कार्यालयों के सूचना पट्टों पर भी सूचना प्रदर्शित करते हुए आवेदन आमंत्रित करेगी। आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, सूचना की तारीख से

पन्द्रह दिन की न्यूनतम अवधि दी जाएगी और आवेदन पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन को पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सटाम्पित रसीद सहित अभिस्वीकृत किया जाएगा।

(2) आवेदन आमन्त्रित करने के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के ठीक पश्चात्, सम्बद्ध पंचायत समिति का कार्यकारी अधिकारी, पंचायत सहायकों के साक्षात्कार संचालित करने के लिए तारीख, समय और स्थान नियत करेगा। कार्यकारी अधिकारी, चयन समिति के सदस्यों के साथ–साथ आवेदकों को भी साक्षात्कार के लिए नियत की गई समय अनुसूची की सूचना देते हुए, एक सूचना (नोटिस) जारी करेगाः

परन्तु नोटिस जारी करने की तारीख और साक्षात्कार की तारीख के बीच न्यूनतम दस दिन की अवधि का अन्तर रहेगा ।

(3) साक्षात्कार निम्नलिखित चयन समिति द्वारा संचालित किया जाएगाः–

(i)	सम्बद्ध उप–मण्डल का उप–मण्डल अधिकारी (नागरिक)	: अध्यक्ष
(ii)	पंचायत समिति का अध्यक्ष	: सदस्य
(iii)	पंचायत समिति का कार्यकारी अधिकारी	: सदस्य सचिव

(4) चयन समिति, प्रमाण पत्रों को उनके मूल प्रमाण पत्रों के साथ सत्यापित करेगी।

(5) पंचायत समिति का कार्यकारी अधिकारी, अभ्यर्थियों द्वारा उनके आवेदनों सहित दी गई सूचना के आधार पर, इसमें नीचे दिए गए मापदण्ड का अनुसरण करते हुए, एक ऑकड़ा सूची का संकलन करेगा, और उक्त आंकड़ों को संकलित करने का कार्य साक्षात्कार की तारीख से पूर्व पूर्ण कर लिया जाएगा तथा वह यह सुनिश्चित करेगा कि यह आंकड़े (डाटा), चयन समिति को अभ्यर्थियों द्वारा साक्षात्कार की तारीख पर लाए गए मूल अभिलेख के साथ साक्षात्कार की तारीख पर, इसके सत्यापन के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। अभ्यर्थियों का चयन उनकी योग्यता (परफारमैन्स) के आधार पर पूर्णतया गुणागुण आधार पर एक सौ अंकों में से किया जाएगा जोकि निम्नलिखित रीति में विभाजित किए जाएंगे, अर्थात् :–

(क) शैक्षणिक अहर्ताएं

(i) दस जमा दो (10+2) में अंकों की प्रतिशतता को 2.86 द्वारा विभाजित करके।	:	अधिकतम 35 अंकों तक

(ii) दस जमा दो (10+2) में वाणिज्य को एक विषय के रूप में रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए, वाणिज्य में अंकों की प्रतिशतता को 20 द्वारा विभाजित करके।	:	अधिकतम 5 अंकों तक
(iii) वाणिज्य में स्नात्तक की डिग्री रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए, अंको की प्रतिशतता को 10 द्वारा विभाजित करके।	:	अधिकतम 10 अंकों तक
(ख) अनुभव		
किसी पंचायती राज संस्थान/सरकारी कार्यालय/सरकारी उपक्रम/संस्था/अभिकरण (ऐजेन्सी) में लिपिकीय हैसियत से सुसंगत कार्य करने के प्रत्येक एक वर्ष के अनुभव के लिए एक अंक प्रदान किया जाएगा।	:	अधिकतम 5 अंकों तक
(ग) निजी साक्षात्कार	:	अधिकतम 15 अंकों तक
(घ) अभ्यर्थी का सम्बद्ध पंचायत समिति का निवासी होने की दशा में।	:	5 अंक
(ङ) अभ्यर्थी का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन–जाति या अन्य पिछड़े वर्ग के प्रवर्ग का होने की दशा में।	:	7 अंक
(च) अभ्यर्थी का गरीबी रेखा से नीचे के परिवार से होने की दशा में।	:	5 अंक
(छ) अभ्यर्थी का शारीरिक विकलांगता की दशा में।	:	3 अंक
(ज) अभ्यर्थी का ऐसे कुटुंब का सदस्य होने की दशा में जिसका कोई भी सदस्य सरकारी रोज़गार में न हो।	:	5 अंक
(झ) अभ्यर्थी जिसने कम्पयूटर में न्यूनतम तीन मास का कोर्स किया हो की दशा में।	:	5 अंक

(6) पंचायत समिति का कार्यकारी अधिकारी, पंचायत सहायकों की रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए गुणागुण के क्रम में अभ्यर्थियों का एक पैनल बनाएगा। अभ्यर्थी जो पैनल में प्रथम स्थान पर हैं, को पंचायत सहायक के पदों पर नियुक्ति के लिए चयनित किया जाएगा। पंचायत सहायकों की अपेक्षित संख्या के चयन के पश्चात्, अभ्यर्थियों की उनके गुणागुण के क्रम में रिक्तियों को भरने के लिए प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी और ऐसी प्रतीक्षा सूची उस कैलेण्डर वर्ष के लिए, जिसमें अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, विधिमान्य होगी।

प्रशिक्षण और परीक्षा।

7. (1) चयनित अभ्यर्थियों को ऐसी अवधि का प्रशिक्षण दिया जाएगा जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाए। प्रशिक्षण का उपबन्ध, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान या जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविरों या ऐसे संस्थानों में किया जाएगा जो सरकार द्वारा अवधारित किए जाएंगे। ग्राम पंचायत के कार्यालयों में प्रशिक्षण के अन्तर्गत थ्योरी के साथ–साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

(2) प्रशिक्षण कोर्स के अन्त में अभ्यर्थियों को पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित लिखित परीक्षा देनी होगी और जो अभ्यर्थी कुल अंकों का न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं करेंगे, उन्हें पंचायत सहायक के रूप में पंचायत समिति की सेवाओं से हटा दिया जाएगा तथा ऐसी रिक्ति को नियम 6 के उप–नियम (6) के अधीन तैयार की गई प्रतीक्षा सूची में से आगामी अभ्यर्थी को नियुक्ति देकर भरा जाएगा।

नियुक्ति के लिए निबन्धन और शर्तें।

8. (1) पंचायत सहायक के पद पर नियुक्ति, पूर्णतः संविदा के आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए होगी जिसकी गणना पद भार ग्रहण करने की तारीख से की जाएगी। सम्बद्ध पंचायत समिति, नियुक्ति प्राधिकारी होगी और नियुक्ति पत्र प्ररूप–1 में कायकारी अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। पंचायत सहायक नियुक्ति पत्र प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर कार्यग्रहण के लिए रिपोर्ट करेगा :

परन्तु पंचायत सहायक की संविदा, उनके कर्तव्यों के संतोषजनक पालन के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उचित समझे जाने पर, वर्षानुवर्ष आधार पर नवीकृत की जा सकेगी :

परन्तु यह और कि पंचायत समिति का कार्यकारी अधिकारी नियुक्ति के समय पर पंचायत सहायक को ग्राम पंचायत का आबंटन करेगा :

परन्तु यह और कि पंचायत सहायक को उस ग्राम पंचायत का आबंटन नहीं किया जाएगा जिसका वह सभा सदस्य है:

परन्तु यह और कि इन नियमों से पूर्व नियुक्त पंचायत सहायकों को उन ग्राम पंचायतों से, जिनके वह सभा सदस्य हैं, इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर, अन्य ग्राम पंचायतों को स्थानान्तरित किया जाएगा।

(2) पंचायत समिति का कार्यकारी अधिकारी, प्ररूप–2 में पंचायत सहायक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के साथ, संविदा करार पर हस्ताक्षर करेगा।

(3) यदि पंचायत समिति, नियुक्त व्यक्ति की सेवाओं से सन्तुष्ट नहीं है या, यथास्थिति, जहां नियुक्त व्यक्ति अनुशासन का पालन नहीं कर रहा हो या भ्रष्टाचार में संलिप्त हो, निधियों का दुरूपयोग कर रहा हो या दाण्डिक अपराध में संलिप्त हो या उसे सौंपे गये कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहा हो, तो पंचायत समिति यदि उचित समझे, तो एक महीने के पूर्व नोटिस पर पंचायत सहायक को निकालने/हटाने के लिए कार्यवाहियॉ प्रारम्भ कर सकेगीः

परन्तु पंचायत सहायक को निकालने/हटाने के मामले को पंचायत समिति के समक्ष कारण बताओ नोटिस के उसके उत्तर सहित, यदि कोई हो, पचांयत समिति के विचार और विनिश्चय के लिए रखा जाएगा। पंचायत सहायक की सेवा को समाप्त (पर्यवसित) कर दिया जाएगा यदि पंचायत समिति अपने कुल निर्वाचित सदस्यों के दो–तिहाई बहुमत द्वारा इस निमित्त संकल्प पारित कर देती है।

(4) पंचायत सहायक को, सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर देने के पश्चात्, पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारी द्वारा हटाया जा सकेगा, यदि उसे आबंटित ग्राम पंचायत दो–तिहाई बहुमत से उसको हटाने के लिए ऐसे आधारों पर संकल्प पारित करती है कि वह उस ग्राम पंचायत में अपने कर्तव्यों का पालन उचित प्रकार से नहीं कर रहा है।

(5) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, यदि ग्रामीण विकास या पंचायती राज विभाग की जानकारी (नोटिस) में यह आता है कि पंचायत सहायक द्वारा निधियों का घोर दुरूपयोग या गबन किया गया है या वह अपने कर्तव्यों में अवचार का दोषी पाया गया है या पंचायत समिति या उपरोक्त विभागों के किसी प्राधिकारी द्वारा उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों का पालन करने में विफल रहा हो और उसका ग्राम पंचायत के कार्यालय में बने रहना अवांछनीय हो और पंचायत समिति उसकी संविदा समाप्ति द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त करने में विफल रहती है तो उस दशा में निदेशक, पंचायती राज सम्बद्ध जिला पंचायत अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को ऐसे पंचायत सहायक के विरूद्ध जांच संचालित करने का निदेश दे सकेगा और जिला पंचायत अधिकारी जांच रिपोर्ट के आधार पर, अभिलेख की तात्विक संवीक्षा करने और अपनी सहमति के पश्चात् सम्बद्ध पंचायत सहायक की संविदा को समाप्त करने के लिए आदेश जारी कर सकेगा :

परन्तु जांच के दौरान अपचारी पंचायत सहायक, ग्राम पंचायत का समस्त अभिलेख, वस्तुओं और धन को उप–नियम (3) या उप–नियम (4) के अधीन, यथास्थिति, पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारी या जिला पंचायत अधिकारी के आदेश तक, पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारी द्वारा यथा निदेशित किसी अन्य पंचायत सहायक या ग्राम पंचायत के सचिव को सौंप देगा।

अपील। 9. नियम 8 के उप–नियम(3) से (5) के उपबन्धों के अधीन हटाया गया/पर्यवसित पंचायत सहायक, यथास्थिति, पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारी या जिला पंचायत अधिकारी के आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, सम्बद्ध जिला के उपायुक्त को अपील प्रस्तुत कर सकेगा। उपायुक्त का विनिश्चय अन्तिम होगा।

पंचायत सहायक की कार्य सारणी। 10. पंचायत सहायक, निम्नलिखित कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :–

(i) ग्राम पंचायत के लेखों का अनुरक्षण ;
(ii) परिवार रजिस्टर/विवाह रजिस्टर इत्यादि सहित पंचायत अभिलेख का अनुरक्षण ;
(iii) जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण ;
(iv) आवेदकों को प्रतियां जारी करना ;
(v) ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठकों का संचालन करना और उनकी कार्यवाहियों को अभिलिखित करना तथा कार्यवाहियों की प्रतियां, यथास्थिति, सम्बद्ध व्यक्ति या प्राधिकरण को भेजना;
(vi) मतदाता सूचियां तैयार करने में सहायता ;
(vii) ग्राम पंचायत के देयों (शोध्य) की वसूली ;
(viii) ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों का पर्यवेक्षण ;
(ix) जन साधारण की शिकायतों को देखना ;
(x) राशन कार्ड जारी करना ;
(xi) समन जारी करना ;
(xii) ग्राम पंचायत की परिसम्पतियों (आस्तियों) और सम्पत्ति की देखरेख करना ; और
(xiii) यथास्थिति, राज्य सरकार के प्राधिकारियों या ग्राम पंचायत द्वारा समय–समय पर उसे सौंपे गए कोई अन्य कार्य (कर्तव्य)।

कार्य समय। 11. पंचायत सहायक पूर्णकालिक कार्यकर्ता (कर्मकार) होगा। नियम 12 के उपबन्धों के अध्यधीन पंचायत सहायक के कार्य के घण्टे प्रति दिन 10 बजे (पूर्वाहन्) से 5 बजे (अपरान्ह) तक होंगे और वह प्रत्येक कार्य दिवस को अपनी उपस्थिति ग्राम पंचायत द्वारा अनुरक्षित उपस्थिति रजिस्टर में अंकित करेगा। उपस्थिति रजिस्टर को प्रधान या प्रधान की अनुपस्थिति में, उप–प्रधान द्वारा सत्यापित और प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगाः

परन्तु, यथास्थिति, प्रधान या उप–प्रधान, प्रत्येक मास की समाप्ति पर उपस्थिति का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

यात्रा और दैनिक भत्ते का संदाय। 12. पंचायत सहायक, ग्राम पंचायत के कार्य कलापों के सम्बंध में उसके द्वारा की गई यात्रा के लिए, राज्य सरकार के वर्ग–VI के कर्मचारियों को अनुज्ञेय यात्रा और दैनिक भत्तों के लिए हकदार होगा, जिसका पदक्रम

(ग्रेडेशन) हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार के कर्मचारियों को यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते इत्यादि के संदाय की बाबत एफ.आर.एस.आर. के अनुपूरक नियम–17 के प्रयोजनों के लिए किया गया है। यात्रा और दैनिक भत्ते हेतु व्यय का संदाय, सम्बद्ध ग्राम पंचायत द्वारा, यथास्थिति, इसकी अपनी निधियों में से या इस प्रयोजन के लिए उपबन्धित सहायता अनुदान में से किया जाएगा।

अवकाश ।

13. (1) पंचायत सहायक, कलेण्डर वर्ष में, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित अन्य राजपत्रित अवकाश के अतिरिक्त, बारह दिन के आकस्मिक अवकाश और दो दिन के वैकल्पिक अवकाश के उपभोग के लिए हकदार होगा ।

(2) यदि पंचायत सहायक महिला है जिसके दो या दो से कम जीवित बच्चे हैं, तो वह अधिकतम बारह सप्ताह की प्रसूति छुट्टी व्यतीत करने की हकदार होगी।

(3) ग्राम पंचायत का प्रधान, पंचायत सहायक की छुट्टियां मन्जूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

चयन प्रक्रिया से सम्बन्धित विवाद।

14. चयन से सम्बन्धित किसी विवाद की दशा में, व्यथित व्यक्ति, नियम 6 के उप–नियम (6) के अधीन पैनल बनाए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर सम्बद्ध उपायुक्त के समक्ष अपील कर सकेगा। उस पर उपायुक्त का विनिश्चय अन्तिम होगा।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति।

15. यदि इन नियमों के किसी भी उपबन्ध के निर्वचन या कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो विषय (मामले) को, राज्य सरकार के स्पष्टीकरण और मार्गदर्शन के लिए निर्दिष्ट किया जा सकेगा जो ऐसे आदेश जारी करके, जो अधिनियम के उपबन्धों के असंगत न हो, ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए कोई भी कार्य करने के लिए सक्षम होगी।

निरसन एवं व्यावृत्तियां।

16. (1) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों की नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 2005, इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को और से निरस्त हो जाएंगे।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

प्ररूप –1

(नियम 8 (1) देखें)

नियुक्ति पत्र

पंचायत सहायक के पद के लिए श्री / श्रीमती / कुमारी .... पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री .... निवासी गांव ....डाकघर .... तहसील ....जिला .... से प्राप्त आवेदन के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि उक्त श्री / श्रीमती / कुमारी .... का उक्त पद के लिए चयन कर लिया गया है। इसलिए उसे एतद् द्वारा, ग्राम पंचायत .... के लिए पंचायत सहायक के रूप में नियुक्ति का प्रस्ताव (ऑफर) निम्नलिखित शर्त और निबन्धनों पर दिया जाता है, अर्थात् :–

1. यह कि उसे .... रूपए(अंको में) .... (शब्दों में) प्रतिमास पारिश्रमिक संदत किया जाएगा ;
2. यह कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को समय–समय पर अनुज्ञेय कोई अन्य भत्ते, उसे संदेय नहीं होंगे ;
3. यह कि नियुक्ति, कार्यग्रहण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए संविदा के आधार पर होगी ;
4. यह कि नियुक्ति आगे भी, नियमों और संविदा में अधिकथित निबन्धन और शर्तों के अध्यधीन होगी ;
5. यह कि उसके द्वारा कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय ग्राम पंचायत के समाधान के लिए पूर्ववृत सत्यापन प्रमाण पत्र, कार्यकारी मैजिस्ट्रेट या दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए, जो उसे कम से कम पिछले तीन वर्ष से जानते हों;
6. यह कि पद पर कार्यग्रहण से पूर्व नियुक्ति, सम्बद्ध जिला के मुख्यचिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी स्वस्थता के चिकित्सीय प्रमाण पत्र के प्रस्तुतीकरण के अध्यधीन होगी ; और
7. यथास्थिति, शैक्षणिक अर्हताएं, जाति, स्थायी निवासी, शारीरिक निःशक्तता, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सदस्य या पूर्व अनुभव के सम्बन्ध में मूल प्रमाण पत्रों की अनुप्रमाणित प्रतियां कार्यग्रहण रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करनी होंगी।

यदि उक्त निबन्धन और शर्तें उसे मन्जूर हों, तो वह अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में संविदा करार के निष्पादन के साथ साथ कार्यग्रहण के लिए तुरन्त रिपोर्ट करे। परन्तु इस नियुक्ति पत्र के जारी होने की तारीख से पन्द्रह दिन के पश्चात् इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

स्थान..........................

तारीख.........................

कार्यकारी अधिकारी,
पंचायत समिति.....................
जिला.................................
हिमाचल प्रदेश।

श्री / श्रीमती / कुमारी............................

....

प्ररूप–2
(नियम 8(2) देखें)
करार

यह करार आज तारीख .... (मास) .... (वर्ष) .... को श्री / श्रीमती / कुमारी .... पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री .... निवासी गांव ....तहसील .... जिला .... हिमाचल प्रदेश के बीच, जो पंचायत समिति .... में पंचायत सहायक के रूप में नियुक्त किया गया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है), और पंचायत समिति .... , के बीच इसके कार्यकारी अधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से किया गया ;

यह कि द्वितीय पक्षकार प्रथम पक्षकार को, पक्षकारों के बीच एतद् द्वारा करार पाए गए निबन्धन और शर्तों पर पंचायत सहायक के रूप में नियुक्त करता है, अर्थातः–

1. यह कि प्रथम पक्षकार द्वितीय पक्षकार के पास आज वर्ष .... के ....मास के .... दिन को पंचायत सहायक के रूप में संविदा के आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेगा और यह विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार के नियोजन का करार तारीख .... को स्वयं ही समाप्त (पर्यवसित) हो जाएगा। और द्वितीय पक्षकार द्वारा इस बारे में कोई औपचारिक सूचना(नोटिस) / आदेश देना अनिवार्य नहीं होगा।
2. यह कि प्रथम पक्षकार, द्वितीय पक्षकार और अधिकारियों और प्राधिकारियों जिनके अधीन वह ग्राम पंचायत द्वारा समय समय पर रखा जा सकेगा, के आदेशों पर स्वयं को प्रस्तुत करेगा और ग्राम पंचायत द्वारा इस निमित्त जारी किए गए अनुदेशों और निदेशों का पालन करेगा और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जोकि उसे सौंपे जाएं।
3. यह कि प्रथम पक्षकार, द्वितीय पक्षकार की उसके समाधानपद रूप में दक्षतापूर्ण सेवा करेगा और वह द्वितीय पक्षकार की सेवा में कार्य करने के लिए सम्पूर्ण समय निरत रहेगा। और स्वयं को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में अपनी ओर से किसी व्यापार या कारबार या उपजीविका में बचनबध नहीं करेगा और वह, (सिवाए प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित दुर्घटना या बिमारी की दशा में) द्वितीय पक्षकार की ओर से प्रथमतः प्रधान, ग्राम पंचायत से अनुज्ञा प्राप्त किए बिना अपने कार्य (कर्तव्यों) पर अनुपस्थित नहीं रहेगा। प्रथम पक्षकार, प्राधिकृत चिकित्सा अवकाश के सिवाए अनुपस्थिति की अवधि के लिए पारिश्रमिक और भत्तों का हकदार नहीं होगा।
4. प्रथम पक्षकार की सेवाएं निम्न प्रकार से समाप्त हो जाएगी, अर्थात् :–

   (i) संविदात्मक अवधि की समाप्ति पर ;
   (ii) द्वितीय पक्षकार द्वारा बिना पूर्व सूचना के, यदि उसका समाधान हो जाता है कि प्रथम पक्षकार बीमारी के कारण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में अनुपयुक्त है और पर्याप्त अवधि के लिए उसके अनुपयुक्त रहने की सम्भावना है। द्वितीय पक्षकार का यह निर्णय कि प्रथम पक्षकार के अनुपयुक्त होने की सम्भावना आगे भी है प्रथम पक्षकार के लिए पूर्णतया बाध्यकर होगा ;

(iii) द्वितीय पक्षकार द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना (नोटिस) के, यदि प्रथम पक्षकार, यथास्थिति, अवज्ञा असंयम या नैतिक अद्यमता या अन्य दुर्व्यवहार या इस करार या नियमों के किन्ही उपबन्धों के किसी भंग या अपालन में प्रथम दृष्टया दोषी पाया जाए ; और

(iv) द्वितीय पक्षकार की ओर से, बिना कारण बताए चाहे जो भी हो, पंचायत समिति का कार्यकारी अधिकारी द्वारा इस करार के अधीन सेवा के दौरान किसी भी समय एक मास का लिखित नोटिस देकर या नोटिस के बदले एक मास के पारिश्रमिक के संदाय पर।

5. यह कि प्रथम पक्षकार द्वितीय पक्षकार की सेवा, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (पंचायत सहायकों की नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 2008 के उपबन्धों के अनुसार करेगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार द्वारा यह विनिर्दिष्ट रूप से तय पाया है कि सेवा के अनुक्रम में इस करार के अधीन उसे अपनी सेवा के नियमितिकरण के लिए दावा करने का कोई अधिकारी नहीं होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप प्रथम पक्षकार और प्रतिभुओं ने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और द्वितीय पक्षकार ने कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से द्वितीय पक्षकार के लिए और की ओर से हस्ताक्षर कर दिए हैं।

प्रथम पक्षकार द्वारा निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षरित कियाः	.... (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)
प्रथम साक्षी : पता.......................... उपजिविका....................	.... (प्रतिभू के हस्ताक्षर)
द्वितीय साक्षीः पता.......................... उपजिविका...................	.... (प्रतिभू के हस्ताक्षर)
द्वितीय पक्षकार द्वारा निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षरित कियाः प्रथम साक्षीः पता............................ उपजिविका.....................	.... (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

द्वितीय साक्षीः
पता...........................
उपजिविका....................

आदेश द्वारा
सचिव (पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या–पीसीएच–एचए(3)25/2007–20659–797.   तारीख   4 सितम्बर, 2008
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्रवाई हेतुः–

1. समस्त उप–मण्डल अधिकारी (नागरिक), हिमाचल प्रदेश।
2. समस्त जिला पंचायत अधिकारी एवम् सचिव जिला परिषद्, हिमाचल प्रदेश ।
3. प्राचार्य पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा/ बैजनाथ, हिमाचल प्रदेश ।
4. समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति, हि0 प्र0।
5. नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171005 को इस अनुरोध सहित कि वह उक्त अधिूसचना को राजपत्र(असाधारण) में प्रकाशित कर विभाग को अधिसूचना की 10 प्रतियां उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

संयुक्त सचिव(पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।